भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

# स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
## स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008 ( )/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/72 दिनांक 11.01.2016

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)**

**विषय :– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निजी अस्पतालो के लिए दिशा निर्देश।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके जिले में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित निजी अस्पतालों के लिए निम्न दिशा निर्देश सुनिश्चित करावें :–

1. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 59 दिनांक 02.01.2016 द्वारा निजी अस्पतालों को इस योजना से संबद्ध करने के लिए अस्पतालो के निरीक्षण हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समीति का गठन किया गया है, जो अस्पतालों का शीघ्र निरीक्षण कर तीन दिवस में अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी को प्रस्तुत करेंगे।
2. जैसा कि इस योजना में निहित है एवं समसंख्यक पत्रांक 63 दिनांक 05.01.2016 द्वारा भी आपको निर्देशित किया है कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का **इलाज बिल्कुल कैश लेस है,** मरीज से **किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क** किसी भी मद में **नहीं** लिया जायेगा। आउटडोर में चिकित्सक के परामर्श शुल्क को भी मरीज के भर्ती होने के बाद मरीज को रिफन्ड कराना होगा।
3. अनावश्यक रूप से कोई भी ऑपरेशन अथवा कोई भी प्रोसिजर नहीं किया जावे एवं मरीज को आवश्यकता होने पर ईलाज उपलब्ध होने की स्थिति में अस्पताल द्वारा मना नहीं किया जावे।
4. ट्रर्शरी डिजीजज के अन्तर्गत आनेवाले सभी 500 पैकेज सभी निजी अस्पतालों के लिए खोल दिये गये हैं, जो अस्पताल जिन पैकेजेज के अन्तर्गत ईलाज कर सकते हैं, उन्हें इन सूची में से चुनकर इसकी सूचना न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी तथा इस कार्यालय को सूचित करावें, ताकि हास्पिटल मास्टर में तदानुसार परिवर्तन किया जा सके एवं पैकेज कम्प्यूटर पर सम्बन्धित अस्पताल को दिख सके।
5. निजी अस्पतालों को यह भी पाबन्द किया जावे कि जो सैकण्डरी एवं ट्रर्शरी पैकेजेज उन्होने चुने हैं, उनकी सूची अस्पताल के स्वागत कक्ष पर लगावें कि **"भमाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नांकित पैकेजेज बिलकुल निः शुल्क किये जाते है"।**
6. ट्रर्शरी पैकेज के लिए निजी अस्पतालों को निर्धारित प्रक्रियानुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी से प्री ऑथोराइजेशन लेना है।
7. स्टेन्ट के लिए पैकेज दर निर्धारित की गई है उसी समान दर पर नॉन मेडिकेटेड स्टेन्ट के स्थान पर मेडिकेटेड स्टेन्ट लगाया जाना संभव हो तो मरीज की आवश्यक अनुसार मेडिकेटेड/नॉन मोडिकेटेड स्टेन्ट लगाने का निर्णय लिया जाये।

उपरोक्त की पालना नियमित रूप से सुनिश्चित करावें तथा इस संदर्भ में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कराने का श्रम करें।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

# स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
## स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008 ( )/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/72 दिनांक 11-01-2016

**प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
7. श्री आर.एम सिंह, डी.जी.एम. न्यू इण्डिया एश्योरेन्स क0लि0 को भेजकर लेख है कि निजी अस्पतालों से चयनित टर्शरी केयर पैकेजस् की सूची उपलब्ध करवाने हेतु। (rm.singh@newindiaco.in)
8. डॉ. अवतार सिंह दुआ, डी.ओ.आई.टी, सॉफटवेयर में जरूरी बदलाव एवं वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. समस्त, प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
10. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई–मेल करवाने का श्रम करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
एस.एच.ए.ए.